

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026, परि0-

पटना, दिनांक-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023, अधिसूचना संख्या-413, दिनांक-23.01.2023, अधिसूचना संख्या-4547, दिनांक-14.06.2023, अधिसूचना संख्या-9376, दिनांक-18.12.2023, अधिसूचना संख्या-580, दिनांक-25.01.2024, अधिसूचना संख्या-8722, दिनांक-04.07.2024, अधिसूचना संख्या-13144, दिनांक-30.10.2024, अधिसूचना संख्या-10177, दिनांक-29.12.2025 एवं अधिसूचना संख्या-4466, दिनांक-05.06.2026 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(xvii) के रूप में कुल 4(चार) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026, परि0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026, परि0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/प्रसाशन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक-04/STA-(विविध)-04/2026, परि0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी सहायक/श्री सोनू कुमार, प्रोग्रामर, परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।